

18.12.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग
समय पर आवाज दिलाई गई। कोई उप. नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर
गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दायिल दफ़तर
हो व नंबर से कम हो।

18/12/24

सहायक न्यायाधीश
(फास्ट ट्रैक) बाउनेर

